Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol.VI, Issue-III September 2020

कोविड-19 के दौर में बेरोजगारी एक मुख्य समस्या: भारत के बिशेष संदर्भ में

श्रीमती रीना दोहरे*

संक्षिप्त रूप

एक छोटे से वायरस ने पूरे विश्व में हाहाकार मचाकर रख दिया है। कोविड- 19 एक अदृश्य वायरस है जो एक चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया है। कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। जिसमें अभी तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है। रोज टी.वी., सोशल मीडिया, अखवार आदि में तरह-तरह की खबर देखकर अब सुखद जीवन की कल्पना करना अत्यन्त कठिन होता जा रहा है। अधिकतर लोग अपने -अपने घरों में बैठे हैं। न कुछ काम है और न ही आमदनी का जरिया। भारत में बढ़ती बेरोजगारी का अहम कारण यहां 135 करोड़ की आबादी भी है परन्तु जनसंख्या घनत्व इतना अधिक होने के बावजूद आज महामारी की वजह से जो बेरोजगारी फैली है या जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वह महामारी से पहले नहीं थी। कम से कम लोग मजदूरी कर अपना पेट तो पाल रहे थे।

इस महामारी की कड़ी को तोड़ने के लिए कई देशों ने लॉकडाउन की प्रकिया अपनाई जिसमें भारत भी पूर्ण भागीदार रहा है परन्तु पूर्णतया लॉकडाउन से भारत, जो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर आता है, कोविड-19 की वजह से आज यहाँ का मजदूर वर्ग सड़क पर आ गया है। कहीं काम न मिलने से अनेक व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली तो कहीं सड़कों पर, कहीं रेलवे स्टेशन पर मृत शरीर प्राप्त हुए हैं। महामारी से मरने से पहले लोग बेरोजगारी की वजह से भूख से, पैदल चलकर मर गये। कभी ऐसी भयावह स्थिति भी उत्पन्न होगी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। इस महामारी से बचने के अनेक उपाय हमारी सरकार द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताये जा रहे हैं और लोग उनका अनुसरण भी कर रहे हैं परन्तु आज हमारे देश में कोरोना मरीजों का आँकड़ा रोज हजारों पार कर रहा है जो बहुत ही गम्भीर समस्या बन चुकी है।

प्रस्तावना

कोविड -19 महामारी का प्रकोप दिनों- दिन बढ़ता चला जा रहा है। सभी जगह इसका डर पैदा हो गया है। सभी काम काज, स्कूल कॅलेज बंद पड़े हैं। आज हर व्यक्ति अपना जीवन बचाने की कश्मकश में है तथा जिसके लिए पूर्ण लॉकडाउन के दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की गई थी परन्तु जीवन बचाने की तुलना यदि जीविका से की जाती है तो जीविका एक आवश्यक आवश्यकता के रुप में नजर आती है क्योंकि जीवन तो जीविका पर ही निर्भर है।

* शोधार्थी (विधि), विधि संस्थान, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

हालाँकि कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु यह भी एक सत्यता है कि आज जो कोरोना पीड़ितों की संख्या 21 लाख से अधिक हो गई है वह हमारी जीविका बचाने के अथक प्रयास के कारण ही हैं

जिनमें सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है तथा मरीजो की संख्या 1 दिन मे लगभग 50 हजार के पार हो रही है। यह एक बड़ी त्रासदी से कम नहीं है अब तो परिवहन सुविधाएं भी चालू हो गयीं हैं। लोगों का आवागमन बढ़ती हुई मरीजों की संख्या का मुख्य कारण है लेकिन बेरोजगारी के कारण आवागमन करना लोगों की मजबूरी है। इस महामारी से बचने के लिए हमारे देश में पूर्ण लॉकडाउन किया गया था उस समय स्थिति नियंत्रण में थी। उसके पश्चात् कुछ ही दिनों प्रवासी मजदूरों ने बेरोजगारी की वजह से सड़कों पर निकलना प्रारम्भ कर दिया। लोगो ने हजारों किलोमीटर पैदल चलने का फैसला लिया तथा अनेक लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए, अनेकों की मृत्यु हो गई जिसकी खबर आये दिन अखबार में या मीडिया द्वारा दिखाई जाती रही हैं जो मन को झकझोरने वाली होती थी और अन्ततः अनलॉक प्रारम्भ किया गया और नतीजा आज हम सबके सामने है।

कोरोना का अर्थ

कोरोना एक वायरस का समूह है जिसमें कोविड-19 उस परिवार का एक हिस्सा। कोरोना को लैटिन भाषा में क्राउन कहा जाता है क्योंकि इस वायरस की सतह पर क्राउन की तरह स्पाइक्स की सीरीज बनी होती है। यह एक सूक्ष्म विषाणु है जो मनुष्य की जीवित कोशिकाओं में पहुँच कर अपनी संख्या को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाकर मनुष्य को संक्रमित कर रहा है। अनुसंधानों के अनुसार यह वायरस अलग-अलग सतह पर अलग-अलग समय तक जीवित रहता है।

कोरोना व कोविड-19 में अन्तर

कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। कोरोना एक वायरस नहीं बल्कि वायरसों के एक समूह को कहते हैं जो व्यक्ति में श्वांस सम्बन्धी बीमारियाँ फैलाता है जबकि कोविड-19 उस परिवार का हिस्सा है। कोरोना में सर्दी, जुकाम तथा व्यक्ति के फेफड़े भी प्रभावित होते हैं विशेषज्ञों के अनुसार इस महामारी का नाम कोविड-19 है न कि कोरोना। यह बीमारी एक नये तरह के कोरोना वायरस से फैली है इस संक्रमण से व्यक्ति निमोनिया और ऑर्गन फेलियर जैसे रोगों से पीड़ित हो सकता है। इतना ही नहीं इस संक्रमण से व्यक्ति में बुखार तथा साँस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं।

कैसे फैला कोविड-19 वायरस

यह वायरस जानवरों से इन्सानों में फैला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह स्पिल ओवर ईवेंट है। नेशनल फाउन्डेशन फॉर इंफेक्शियस डिजीज के प्रोफेशर विलियम स्कैफ्नर ने हफपोस्ट में कहा था कि थोड़े समय बाद जानवरों में पाया जाने वाला यह वायरस अपना दायरा बढ़ाते हुए इंसानों में महामारी फैला सकता है। इस वायरस की शुरुआत दिसम्बर माह में चीन के वुहान शहर से हुई। भारत में सर्वप्रथम केरल में कोविड-19 का पहला मरीज सामने आया जो चीन के वुहान यूनीवर्सिटी का छात्र था। यदि उसी समय पूर्ण लॉकडाउन किया जाता तो शायद आज जो गम्भीर स्थिति है वह न होती।

कोविड-19 महामारी के लक्षण

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बुखार, सूखी खांसी, गले में खरास, साँस लेने में तकलीफ होना, थकान, मांससपेशियों में दर्द के अलावा स्वाद व गंध महसूस न होने को भी कोविड-19 के लक्षणों में सम्मलित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह भी बताया गया है कि बुजुर्ग लोगों को और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में थकान, सजगता की कमी, गतिशीलता की कमी, दस्त भूख न लगना व बुखार न होना जैसे अलग लक्षण भी हो सकते हैं। वयस्कों की तरह बच्चों में भी खांसी या बुखार के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। 'अमेरिका के राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य संस्थान' रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने मई के प्रारम्भ में ही स्वाद व गंध महसूस न होने को कोविड-19 महामारी के लक्षणों में सम्मिलित कर लिया था।

संक्रमण कैसे फैलता है

कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह वायरस सीधे तौर पर फैलता है। मुख्यतः श्वसन कणों के जरिए, जो व्यक्ति के खांसने छींकने या बात करने पर निकलते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति संक्रमित होता है। अक्सर व्यक्ति मुंह पर हाथ रखकर खांसता या छींकता है इसके बाद वह जिस वस्तु को छूता है तो वायरस उस वस्तु पर चला जाता है। इसके बाद जब कोई अन्य व्यक्ति जो संक्रमित नहीं है उस संक्रमित वस्तु को छूता है तो वायरस उसके हाथों में चला जाता है जिन्हें वह अपने चेहरे, नाक, मुंह पर लगाता है तो वह भी संक्रमित हो जाता है और इस प्रकार एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहुँच कर इस वायरस ने ऐसा विकराल रूप ले लिया है कि सारी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है।

कोविड -19 महामारी से बचने के उपाय

कोरोना वायरस अलग तरह का वायरस है जो कम समय में ही पूरी दुनिया में फैल गया इसलिए अभी तक कोई वैक्सीन सामने नहीं आयी है हालाँकि सभी देश वैक्सीन बनाने में लगे हैं, समभवतः जल्द ही कुछ अच्छी खबर सामने आयेगी लेकिन तब तक बचाव ही इसका मात्र उपाय है जिसके लिए लॉकडाउन भी किया गया था। आज इस महामारी ने इतना भयानक रूप ले लिया है कि लोगों आपस बात करने में डर लगने लगा है। इसलिए बचाव ही एकमात्र उपाय है जो अग्रलिखित हैं-

1- सामाजिक दूरी बनाये रखें इसके साथ-साथ शारीरिक दूरी भी आवश्यक है। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर न जायें

2- हाथों को बार-बार धोंये ताकि यदि गलती से वायरस हमारे हाथों पर आ गया हो तो संक्रमण न फैले।

3-छींकते व खांसते समय रूमाल व टिशू पेपर का प्रयोग करें

4-इम्युनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से पौष्टिक व सन्तुलित भोजन ही ग्रहण करें।

5- जहां पानी की व्यवस्था न हो सके वहां बार-बार हाथों को सेनेटाइज करें।

6-अपने तापमान व श्वसन लक्षणों की जांच नियमित रूप से कराते रहना चाहिए।

7-अपने चेहरे, नाक-मुंह पर हाथ बार-बार न लगायें।

उपरोक्त के अतिरिक्त स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बचाव से सम्बन्धित जो भी गाइड लाइन दी जाती है उसका सख्ती से पालन करना चाहिए।

महामारी के बीच बेरोजगारी एक अभिशाप

इस महामारी से बचने के लिए हर सम्भव प्रयास हमारी केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। भारत में सर्वप्रथम 24 मार्च को पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया जिसमें हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो जहां है, वहीं रुक जाए का आवाहन किया गया। जिसमें लोगों को एक-दूसरे की मदद करने की भी सलाह दी गई ताकि कोई भूखा न सोये। सभी राज्य सरकारों ने अपने-अपने स्तर पर खाने-पीने की व्यवस्था की। जम्मू-कश्मीर राज्य में पंचायतों ने मोर्चा सम्भाला जिसमें लोगों को लाउडस्पीकर से कोरोना की रोकथाम के लिए जागरुक किया जा रहा है। कई पंचायतें आवश्यक किट, पका भोजन वितरित कर रहीं हैं। ऐसे ही पंजाब में भी भोजन व्यवस्था व अन्य योगदान किये जा रहे हैं। इसमें हमारी मध्यप्रदेश सरकार भी प्रवासी श्रमिकों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है जिसमें कई योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं जैसे-

1- मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना 2020

2- श्रमसिद्धि अभियान

3-खाद्यान व्यवस्था

4-राशन का समुचित वितरण

5- मुख्यमंत्री जनकल्याण 'संबल' योजना

6- तेंदूपत्ता संग्रहण और पारिश्रमिक योजना

7-सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल योजना

इसके अतिरिक्त रोजगार पोर्टल भी चालू किया गया है

परन्तु इन सबके बावजूद जब लॉकडाउन प्रारम्भ किया गया तब न तो किसी को ये पता था कि लॉकडाउन कब तक चलेगा और न ही ये पता था कि कब तक खुलेगाा। सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के खाने-पीने व्यवस्था की गई, कई समाज सेवी संस्थाओं ने भी योगदान दिये परन्तु धीरे-धीरे स्थिति बिगड़ती गई और हमारे मजदूर भाई पैदल ही घर की तरफ निकल पड़े। कई लोगों की सड़कों पर, घर पहुँचने से पहले ही मौत हो गई।

बेरोजगारी इन दिनों अभिशाप बनी हुई है। अनेक न्यूज चैनल या अखबार के माध्यम से इस काल में हो रही दुर्घटनाओं की खबर रूह कांपने वाली होती है। रोजगार न होने के कारण लोगों का शहरों में रहना मुश्किल हो गया तो उन्होंने अपने घरों की ओर रुख कर लिया। लॉकडाउन में आवागमन की सुविधांए न होने के कारण लोगों ने पैदल ही जाना उचित समझा। जिसमें कहीं लोग थककर पटरी पर सो गये और ट्रेन से कटकर उनकी मौत हो गई, ट्रकों में छिप कर जा रहे लोगों के ट्रक पलट गये जिससे कई लोगों की मौत हो गई, कहीं भूख के कारण कई लोग जिनमें महिलाएं व बच्चे भी सम्मिलित हैं, काल के गाल में समा गए।

न केवल मजदूर वर्ग बल्कि पढ़े-लखे लोग जो प्राइवेट काम कर, ट्यूशन पढ़ाकर, प्राइवेट संस्थाओं में काम कर या अन्य प्रकार से अपना जीवन-यापन कर रहे थे, वह भी आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। इसमें नुकशान पढ़े-लिखे बेरोजगारों का भी है। आज लॉकडाउन खुल चुका है परन्तु इस वर्ग के लिए कहीं कोई काम नजर नहीं आ रहा है। हमारा शोधार्थी वर्ग भी अछूता नहीं है जो अपना कोई काम नहीं कर पा रहा है। आज विश्वविद्यालय खुले पर लाइब्रेरी नहीं जिसके चलते काम कर पाना अत्यन्त मुश्किल हो गया है।

कोविड-19 महामारी ने भारत की जनता का जीवनचक्र पूर्णतया तहस-नहस कर दिया है। बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी छूट गई हैं। करोड़ से ज्यादा विस्थापित मजदूर जो दिहाड़ी पर अपना और अपने परिवार का जीवन-यापन कर रहे थे आज कोरोना की मार झेल रहे हैं, जो सर्वाधिक दुखी वर्ग कहा जा सकता है। इस महामारी से न केवल मजदूर वर्ग वल्कि मध्यम वर्ग भी गंभीर रूप से प्रभावित रहा है। जिससे सभी का जावन उथल-पुथल हो गया है। सभी अपना जीवन बचाने के लिए घरों में कैद हो गए परन्तु कब तक ? जैसे लॉकडाउन खुला लोग काम की तलाश में बाहर निकलने लगे और आज नतीजा हम सबके सामने है।

लोगों का साहस व धैर्य अब जबाब देने लगा है। इस परिस्थिति का असर आर्थिक रूप से नही बल्कि मानसिक से भी पड़ा, जिसका नतीजा भी चैकाने वाला है। न केवल बड़े बल्कि बच्चे भी इस स्थित में अच्छा महसूस नहीं कर रहें हैं। विशेषज्ञों का भी यह मानना है कि तनाव की मात्रा अधिक हो और अवधि बहुत लम्बी हो तो मुश्किल कई गुना बढ़ जाती है। भारतीय मनोचिकित्सा परिषद् के ताजे सर्वेक्षण के अनुसार लॉकडाउन के दौरान मनोरोग के मामलों मे 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि हर 5 भारतीय में से 1 मानसिक रोग से पीड़ित है। कोविड-19 के दौर में जीविका खत्म होना, आर्थिक कठिनाई का सामना करना, घरेलू हिंसा, दुव्र्यव्हार, मानसिक स्वास्थ्य की हानि आदि एक बड़ी त्रासदी बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति में आत्महत्या के केसों में बढ़ोत्तरी हुई है।उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आर्थिक तंगी के कारण पिता ने अपने 3 बच्चों को अपनी पत्नी सहित मार कर आत्महत्या कर ली, इसी तरह दिल्ली मे 2 बच्चों की हत्या कर पिता ने मेट्रो के सामने कूद कर आत्महत्या कर ली, मध्यप्रदेश में भी पिता ने 3 बच्चों की हत्या कर आत्म हत्या कर ली, ऐसे न जाने कितने लोग, हमारे किसान भाई जो रोज आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं तथा जो बेरोजगारी के कारण मानसिक तनाव में जी रहे हैं। इस महामारी दौर में बेरोजगारी एक गम्भीर समस्या बनी हुई है।

महामारी से संबंधित उपबन्ध

जैसा कि हमें मालूम है कि कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है तथा भारत में भी इसे महामारी घोषित किया है इसके लिए निम्नलिखित कानूनों को महामारी से निपटने के लिए प्रयोग किया जा रहा है-

भारतीय दण्ड संहिता, 1860

महामारी अधिनियम, 1897

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005

कारोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है जिसमें यदि किसी व्यक्ति के द्वारा लापरवाही की जा रही है जिससे संक्रमण फैलने के आसार नजर आ रहे हैं उनके लिए कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया गया जो है जिसमें दण्ड का प्रावधान भी किया गया है जैसे-

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269 के अनुसार- जो कोई विधिविरुद्ध रूप से, या उपेक्षा से, ऐसा कार्य करेगा, जिससे कि, और जिससे वह जानता या विश्वास रखने का कारण रखता हो कि, जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रम फैलाना संभाव्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 270 के अनुसार- जो कोई परिद्वेष से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे कि, और जिससे वह जानता हो, या विश्वास करने का कारण रखता हो कि, जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग किसी रोग का संक्रम फैलना संभाव्य है, वह दोनों में किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अनुसार- जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक-सेवक द्वरा प्रख्यापित किसी आदेश से, जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए या अपने कब्जे में की, या अपने प्रबन्धाधीन, किसी सम्पत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे आदेश की अवज्ञा करेगा, जिससे किन्हीं व्यक्तियों को क्षोभ, क्षति, या जोखिम कारित करे, तो एक मास तक की सजा तथा 200 रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा तथा यदि अवज्ञा से मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को संकट कारित होता है तो 6 माह की सजा, 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

महामारी अधिनियम,1897

यह अधिनियम खतरनाक महामारियों के प्रसार की बेहतर रोकथाम का उपबन्ध करने के लिए बनाया गया है। महामारी अधिनियम की धारा 2 के अनुसार- जब राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि राज्य के किसी भाग में खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है या होने की आशंका है तथा तत्समय विधि

के उपबन्ध पर्याप्त नहीं हैं तो राज्य सरकार ऐसे उपाय कर सकेगी, किसी व्यक्ति से उपाय करने की अपेक्षा कर सकेगी या उसके लिए सशक्त कर सकेगी और जनता द्वारा, व्यक्ति या समूह द्वारा अनुपालन करने के लिए सार्वजनिक सूचना द्वारा ऐसे अस्थाई विनियम विहित कर सकेगी जिन्हें वह रोग के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक समझे।

महामारी अधिनियम की धारा 3 के अनुसार - इस अधिनियम के अधीन बनाये गए किसी विनियम या आदेश की अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डित किया जायेगा।

महामारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार- कोई भी वाद या विधिक कार्यवाही ऐसी किसी भी बात के बारे में, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध न की जायेगी।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005

इस अधिनियम के अन्तर्गत आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध किया गया है।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 2 ड के अनुसार- आपदा प्रबन्धन से तात्पर्य योजना, संगठन, समन्वय और कार्यान्वयन की निरन्तर और एकीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक या समीचीन है-

I किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण,

II किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम या शमन या कमी,

III क्षमता निर्माण,

IV किसी आपदा से निपटने की तैयारियां, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से तुरन्त बचाव,

V किसी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिणाम का निर्धारण

VI निष्क्रमण, बचाव और राहत,

VII पुनर्वास और पुनर्निमार्ण

इस अधिनियम के अध्याय 10 में धारा 51 से लेकर धारा 60 तक अपराध और दण्ड की व्यवस्था भी की गई है। जिसके अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति सरकार या प्राधिकरण के कृत्यों मे बाधा डालेगा, सरकार या प्राधिकरण से सहायता के मिथ्या दावे करेगा, आपदा राहत सामग्री का दुरुपयोग करेगा, आपदा या संकट की मिथ्या सूचना चेतावनी देगा, सरकार के विभाग द्वारा लापरवाही या मौनानुकूलता से कोई अपराध हो जाता

है, अधिकारी के कत्तव्य पालन में असफलता, धारा 65 के अधीन किसी आदेश का उल्लंघन, कंपनियों द्वारा किया गया अपराध, किया जाता है तो उन्हें अपराध के अनुसार अलग-अलग दण्ड जुर्माने से या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी व अपराधों के संज्ञान का प्रावधान भी इस अध्याय में किया गया है।

निष्कर्ष

आज भारत में महामारी की वजह से जो अव्यवस्था हुई है या जिस तरह से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया वह एक स्मरणीय तथ्य है इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा जो भी कदम उठाये जा रहे हैं या जो भी योजनाएं बनाई गईं हैं, उनका फायदा सही व्यक्ति व जरूरतमंद को हो रहा है या नहीं, यह देखना भी सरकार का काम है क्योंकि जिस तरह का माहौल आज हो गया उससे व्यक्ति का मानसिक रूप भी कमजोर हो गया है। हालांकि लॉकडाउन के समय में हवा,पानी साफ हो गया है, बैंगलुरु के एक अनुसंधान केंद्र के अनुसार हृदयाघात के मामलों भी इस काल में कमीं आई परन्तु ये सभी फायदे इस काल की बेरोजगारी की भरपाई करने में असफल हैं इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यह एक बेहद संकट का काल है जिससे निपटने के लिए सभी को सरकार द्वारा बताये गए नियमों का पालन करना चाहिए ताकि शीध्रातिशीघ्र सभी इस मुसीबत से छुटकारा पा सकें।

संदर्भ सूची

1. पत्रिका समाचार पत्र
2. भारतीय दण्ड संहिता,1960
3. महामारी अधिनियम,1897
4. आपदा प्रबन्धन अधिनियम,2005
5. htpps://www.amarujala.com
6. htpps://m.livehindustan.com
7. htpps://www.india.com